न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 75 / 2022
दायर दिनांक : 05 / 08 / 2022
निर्णय दिनांक : 10.11.2022

उनवान

1. डालचन्द पिता नारायण मेघवाल निवासी आकोला तहसील भूपालसागर

वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, भूपालसागर तहसील भूपालसागर

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अंतर्गत धारा–88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री पवन जायसवाल

:: निर्णय ::

वकील वादी की ओर से एक वादपत्र अंतर्गत धारा–88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार से है:–

यह है कि ग्राम कानड़खेड़ा पटवार हल्का कानडखेड़ा तहसील भूपालसागर में हाल आराजियात आ.सं. 13 रकबा 1.05 है., आ.सं. 14 रकबा 1 है. किता 2 रकबा 2.05 है. भूमि स्थित है, जिसके साबिक आराजियात नं. 1/1 रकबा दस बीघा लगानी 7.50 रूप्या थे। वास्ते सबूत विकय पत्र की फोटो प्रति, हाल जमाबंदी, साबिक जमाबंदी, मिलान खसरा की प्रमाणित नकले पेश है। सेटलमेंट कर्मचारियों ने साबिक आ.सं. 1/1 मी. के बजाय साबिक आ.सं. 1/10 वादी के खाते में दर्ज कर दिये जबक साबिक आ.सं. 1 के साबिक आ.सं. 1/10 बनाये गये नहीं थे केवल 1/1 मी. ही बने थे। उक्त साबिक आ.सं. वादी ने दायाराम पिता खूमा चमार निवासी मुरला से दिनांक 10.08.1998 को अक्षरे 10,000/ रूपयो में कय की थी। वादी के द्वारा दयाराम से खरीदने के बाद इन्तकाल नं. 379 दिनांक 30.6.1989 को राजस्व रिकार्ड में वादी के तनहा खाते दर्ज की गई तब से ही उक्त आराजियात पर वादी काबिज होकर बिना रोक टोक के फसल काश्त एवं उक्त आराजी का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। सेटलमेंट विभाग के राजस्व कर्मचारियों की गलती से वादी की खातेदारी की हाल आराजियात नं. 13 व 14 कुल रकबा 2.05 है. वादी के खाते दर्ज नहीं कर सेटलमेंट विभाग के कर्मचारियों ने आ.सं. 13 रकबा 1.05 है. व आ.सं. 14 रकबा 1 है. बी. 2 सरकार के खाते दर्ज कर दिया है, जो गलत है वादी आ.सं. 13 व 14 की इन्द्राज दुरूस्त करा खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है। उक्त विवादित आराजियात नं. 13 व 14 बी.2 सरकार के खाते दर्ज होने से प्रतिवादी वादी को उसके कब्जे से बेदखल करने की धमकी देता है, कब्जे से बेदखल करने पर आमदा है तथा उक्त आराजियात को अन्य व्यक्ति के नाम आवंटन करने की धमकी देता है इस कारण स्थाई निषेधाज्ञा का आदेश वादी विरूद्ध प्रतिवादी जारी फरमाया जावे कि वादी के कब्जे में दखलअन्दाजी नहीं करें, कब्जे से बेदखल ना करे, ऐसा कृत्य न तो प्रतिवादी स्वयं करे न ही अपने नौकर, चाकर, एजेन्ट एवं अधिनस्थ कर्मचारीगण से भी नहीं करावें। पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादी इन्द्राज दुरूस्ती की डिकी इस आशय की जारी फरमायी जावे की वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित हाल आराजियात को सेटलमेंट विभाग के राजस्व कर्मचारियों की गलती से वादी की खातेदारी की उक्त हाल आ.सं. 13 व 14 कुल रकबा 2.05 है. वादी के खाते दर्ज नहीं कर राजस्व कर्मचारियों ने आ.सं. 13 रकबा 1.05 हैक्टेयर व आ.सं. 14 रकबा 1 हैक्टेयर बी. 2 सरकार के खाते दर्ज कर दिया है जो गलत है वादी आ.सं. 13 व 14 का खातेदार काश्तकार घोषित होने का अधिकारी है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। बाद सम्मन तामील प्रतिवादी ने जवाब पेश किया, जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी ने अपने जवाब में निवेदन किया है कि ग्राम कानडखेड़ा के हाल आ.सं. 13 रकबा 1.05 है. व आ.सं. [illegible] से बनना रिकार्ड अनुसार होने से स्वीकार है, शेष अस्वीकार है वादी स्वयं सिद्ध करे [illegible] 2 अस्वीकार है, सेटलमेंट कर्मचारियान द्वारा 1/1 मी. के बजाय साबिक आ.सं. 1/10 वादी [illegible] आवंटन से ही आवंटी के नाम साबिक आ.सं. 1/10 ही [illegible] 13 रकबा 1.05 है. व आ.सं. 14 रकबा 1 है. वर्तमान में राज[illegible]कार के नाम दर्ज है जिस पर खातेदारी अधिकारी प्रदान नहीं किये जा सकते हैं परन्तु पत्रावली पर उप[illegible] आ.सं. 12, 13, 14 की भू प्रबंध विभाग की खसरा नकल के विशेष विवरण के कॉलम में दर्ज नोट जिसमें द[illegible] कि "राज. सरकार के परिपत्र दि. 23.05.1994 एवं एस.आे. के पत्रांक 942 दिनांक 24.10.94 की अनुपालना में राजस्व जमाबदी संवत 2036–40 के अनुसार खा.नं. 1 से बनने वाले हाल ख.नं. 13, 14, 18, 29, 37, 40, 51, 52, 5371, 74, 1223, 1224ख 1392/1201, 1408/1202, 1409/129, 1417/4, 1420/17, 1424/43, 1425/9, 1426/30, 1427/1216, 1428/23, 1429/24, 1430/25, 1431/35 कुल क्षेत्र 10.16 है. में से क्षेत्रफल 2.16 लगान 12.96 श्री गोपी पिता गुलाब चमार निवासी मुरला गैर खातेदार दर्ज किया जावे व क्षेत्र 2.16 बारानी द्वितीय लगान 12.96 पर श्री डालचन्द पिता नारायण मेघवाल सा. आकोला खा. दर्ज किया जावे। ना.सं. 379 दि. 30.06.89

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.11.23 15:38:20 IST
Reason: SelfAttested

बिकाव से दायाराम की जगह डालचन्द नाम दर्ज किया" का अंकन है। परन्तु यह स्पष्ट नहीं हैकि आ.सं. 13 व 14 में से ही दिया जावे। मौका निरीक्षण से ही स्पष्ट हो सकता है कि वादी का किस आराजी पर काबिज है तदनुसार काबिज नहीं होन पर अस्वीकार व काबिज होने पर स्वीकार है।

इस प्रकरण मे बाद प्रतिवादी पैरोकार सरकार के जवाब तनकीयात निम्नानुसार कायम की गई :–

तनकी संख्या 1 :–

आया वाद पत्र की पैरा 1 में वर्णित हाल आराजी संख्या 13 रकबा 1.05 हैक्टेयर, आ.सं. 14 रकबा 1.00 हैक्टैयर किता 2 रकबा 2.05 हैक्टेयर भूमि का सरकार के खाते दर्ज कर दिया, जो गलत है। आ.सं. 13, 14 का खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है।

– जिम्मे वादी

तनकी संख्या 2 :–

दादरसी ?

वकील वादी ने दिनांक 19.10.22 को बाबत कमिश्नर रिपोर्ट मंगाये जाने का प्रा. पत्र पेश किया, जो स्वीकार कर मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। मौका रिपोर्ट दिनांक 21.10.22 में बताया कि मौके पर आ.सं. 13, 14 किता 2 रकबा 2.05 है. भूमि के चारों तरफ डालचन्द पिता नारायण मेघवाल निवासी आकोला द्वारा सर (मेड़) खोदी गई है तारबंदी के लिऐ खोदना बताया है उक्त भूमि का आधा भू भाग हाका हुआ होकर जुताई की जा रही है, आ.सं. 13 के उत्तर पश्चिम कोने पर करीब 30 वर्ष पूर्व डालचन्द पिता नारायण मेघवाल द्वारा पुराना कुआं खुदा हुआ है, जिसमें वर्तमान में पानी है तथा जब से वादी ने जमीन खरीदी तब से भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। किसी प्रकार का विवाद नहीं है। वकील वादी ने शहादत वादी में शपथ पत्र श्री डालचन्द पी.डब्ल्यू. 1 प्रस्तुत किया जो कि शामिल पत्रावली किया गया। वादी द्वारा पेश दस्तावेज दिनांक 02.11.2022 को प्रदर्श किये गये, विक्रय पत्र की फोटो प्रति प्रदर्श 1 ए है, साबिक जमाबंदी सम्वत 2037–2040 प्रदर्श 2, हाल जमाबंदी प्रदर्श 3, मिलान शीट प्रदर्श 4, भू प्रबंध विभाग सम्वत 2050–51 की नकल प्रदर्श 5, खसरा जमाबंदी सम्वत 2039–41 प्रदर्श 6 है।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में वर्णित तथ्यों एवं उपलब्ध साक्ष्य सामग्री दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। वादीगण के शपथ–पत्र, अन्य दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के शपथ–पत्र व वकील वादीगण की बहस पर मनन किया। जिससे आ.सं. 12, 13, 14 की भू प्रबंध विभाग की खसरा नकल के विशेष विवरण के कॉलम में दर्ज नोट जिसमें दर्ज है कि "राज. सरकार के परिपत्र दि. 23.05.1994 एवं एस.ओ. के पत्रांक 942 दिनांक 24.10.94 की अनुपालना में राजस्व जमाबदी संवत 2036–40 के अनुसार खा.नं. 1 से बनने वाले हाल ख.नं. 13, 14, 18, 29, 37, 40, 51, 52, 5371, 74, 1223, 1224, 1392/1201, 1408/1202, 1409/129, 1417/4, 1420/17, 1424/43, 1425/9, 1426/30, 1427/1216, 1428/23, 1429/24, 1430/25, 1431/35 कुल क्षेत्र 10.16 है. में से क्षेत्रफल 2.16 हैक्टेयर बारानी द्वितीय लगान 12.96 पर श्री डालचन्द पिता नारायण मेघवाल सा. आकोला के नाम दर्ज होने का अंकन है तथा कमिश्नर मौका रिपोर्ट अनुसार भी आ.सं. 13 व 14 पर वादी का कब्जा होकर आ.सं. 13 के उत्तर पश्चिम कोने पर करीब 30 वर्ष पूर्व डालचन्द पिता नारायण मेघवाल द्वारा पुराना कुआं खुदा हुआ है, जिसमें वर्तमान में पानी है तथा जब से वादी ने जमीन खरीदी तब से भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है, इस प्रकार वादी का कब्जा होना सिद्ध है। पैरोकार सरकार के जवाब, साबिक एवं हाल राजस्व रिकार्ड अनुसार तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है। इस प्रकार ग्राम कानडखेड़ा के साबिक आ.सं. 1/10 रकबा 10 बीघा का साबिक रिकार्ड में वादी खातेदार काश्तकार था, जिसके नये नंबर 13 व 14 बने होकर भू प्रबंध विभाग की त्रुटि से बिलानाम दर्ज हुई है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम कानड़खेड़ा के हाल आ.सं. 13 रकबा 1.05 है. एवं आ.सं. 14 रकबा 1.00 है. किता 2 रकबा 2.05 हैक्टेयर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, राजस्व रिकार्ड में तदनुसार अंकन किया जावे। इस आशय की डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.11.2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.11.23 15:38:20 IST
Reason: SelfAttested